न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 158/2024 (भा0ना0सु0सं0 की धारा 163)

विरंची सिंह वगैरह ---------- प्रथम पक्ष

बनाम्

महेश सिंह वगैरह ---------- द्वितीय पक्ष

आदेश

13-12-24

प्रथम पक्ष के आवेदन पर अंचल अधिकारी बिरनी के जाँच प्रतिवेदन पर संतुष्ट होकर निम्नलिखित विवरण वाले वादग्रस्त भूमि पर दिनांक 14.10.2024 को निषेधाज्ञा प्रवृत किया गया तथा उभय पक्ष को उक्त भूमि पर जाने अथवा कोई कार्य किए जाने से प्रतिबंधित किया गया।

मौजा- खैरीडीह, थाना- बिरनी, जिला- गिरिडीह खाता नं0- 208, प्लॉट नं0- 2189, रकबा- 28 डी0 चौहद्दी : उ0- प्लॉट नं0 2464, द0- परती कदीम, पू0- निज हरि सिंह, प0- घर महेश सिंह वगैरह

नोटिस निर्गत कर उभय पक्ष से कारण पृच्छा भी की गई। उभय पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपना-अपना पक्ष रखा।

प्रथम पक्ष का कहना है कि उक्त भूमि प्रथम पक्ष सं0- 02 के पिता शंकर सिंह को हुकुमनामा द्वारा प्राप्त है तथा उपरोक्त भूमि की जमाबन्दी अंचल कार्यालय बिरनी के पंजी-II के पृष्ठ सं0- 61 भोलुम नं0- 78 में कायम है तथा लगान रसीद वर्ष 2022 तक निर्गत है। दिनांक 25.07.2024 को द्वितीय पक्ष के सदस्यों के द्वारा नींव खोदकर बाजबरन चहारदीवारी बनाने का प्रयास करने के कारण विवाद उत्पन्न हुआ। प्रथम पक्ष अपने दावे के समर्थन में एक सादा हुकुमनामा की छायाप्रति, एक ऑनलाइन लगान रसीद की छायाप्रति, चार ऑफलाइन लगान रसीद की छायाप्रति दाखिल करते हैं।

वहीं दुसरी ओर द्वितीय पक्ष का कहना है कि विवादित भूमि उनकी माता एवं चाची को हुकुमनामा के जरिए हासिल है। द्वितीय पक्ष का आगे कहना है कि वे जमीन्दार के परिवार से संबंधित हैं तथा आजादी के पूर्व तथा वर्त्तमान में भी उनका उक्त जमीन पर दखल कब्जा है। वादग्रस्त भूमि में द्वितीय पक्ष की माता एवं चाची को मौजा खैरीडीह के अंदर खाता नं0- 208, प्लॉट नं0-

2189 में कुल रकबा 1.34 एकड़ प्राप्त है जिसपर मुन्द्रिका देवी वो विमला देवी के जीवित वंशजों का दखल कब्जा है तथा सम्मिलात जमाबन्दी पंजी-II भाग सं0- 02 पृष्ठ सं0- 75 पर मुन्द्रिका देवी वगैरह के नाम से दर्ज है। द्वितीय पक्ष अपने दावे के समर्थन में एक सादा हुकुमनामा की छायाप्रति, पाँच लगान रसीद की छायाप्रति प्रस्तुत करते हैं। खाता सं0- 208 के खतियान की छायाप्रति भी दाखिल करते हैं।

आगे प्रथम पक्ष के द्वारा भा0ना0सु0सं0 की धारा 223 के तहत एक आवेदन भी दिया गया है।

अंचल अधिकारी बिरनी का जाँच प्रतिवेदन भी प्राप्त है। अंचल अधिकारी बिरनी के अनुसार विवादग्रस्त भूमि गैरमजरूआ खास खाते की है। दखल कब्जा के संबंध में अंचल अधिकारी ने अस्पष्ट दखल कब्जा प्रतिवेदित किया है।

उपरोक्त विवेचन, राजस्व कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उभय पक्ष सादा हुकुमनामा तथा उक्त हुकुमनामा के आधार पर कायम की गई जमाबन्दी के आधार पर विवादित भू-खण्ड पर अपना दावा करते हैं। स्पष्टतया: यह हक-हकीयत (Title) से जुड़ा मामला है जिसका विवेचन अधोहस्ताक्षरी के क्षेत्राधिकार में नहीं है। अत: भा0ना0सु0सं0 की धारा 163 के तहत प्रस्तुत वाद में किसी पक्ष या पक्षकार के हित में या विरूद्ध कोई अंतिम आदेश पारित करने का कोई औचित्य नहीं है। स्वत्व के विवेचन हेतु उभय पक्ष सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं। उक्त आदेश के साथ ही भा0ना0सु0सं0 के तहत वाद की कार्यवाई समाप्त घोषित की जाती है।

प्रथम पक्ष के द्वारा भा0ना0सु0सं0 की धारा 223 के तहत दिए गए आवेदन पर संज्ञान लेते हुए अग्रेत्तर कार्यवाई का निदेश दिया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

13-12-24

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

13-12-24

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.01.09 12:36:05 +05:30
Location: 192.168.1.2